23

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

23.1 पृष्ठभूमि

- पुनर्वास तथा रोजगार निदेशालय (डीजीआरई) जिसे अब रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना जुलाई, 1945 में भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध सेवा कार्मिकों की, कार्यमुक्ति के पश्चात् नागरिक जीवन में पुनर्वास के प्रयोजनार्थ की गई थी ।

- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महानिदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया । 1948 के प्रारम्भ में सभी श्रेणी के रोजगार सेवा तथा 1950 में सभी नागरिकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी महानिदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया ।

- प्रशिक्षण और नियोजन सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों को मानते हुए रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का प्रशासनिक नियंत्रण 1.11.1956 से राज्य सरकार /संघ शासित प्रशासनों को केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया ।

- संगठन की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत खर्च केन्द्र द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा 31.3.1969 तक वहन किया जाता रहा । जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप यह व्यवस्था बन्द करा दी गई ।

- प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षिय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है । जुलाई, 2003 के अन्त तक कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 945 (82 विश्व विद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग दर्शन ब्यूरो सहित) थी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों) की कुल संख्या 4751 थी , जिनकी सीटों की क्षमता 6.97 लाख थी ।

23.2 व्यापारिक नियमों के आंवटन के अनुरूप उत्तरदायित्व

- व्यापारिक नियमों के आंवटन के अनुरूप (क) ग्रामीण रोजगार एवं बेरोजगारी के अलावा रोजगार एवं बेरोजगारी तथा (ख) शिल्पकारों एवं शिक्षुओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण को समवर्ती विषय के तहत् श्रम मंत्रालय को आंवटित किया गया है तथा (क) रोजगार कार्यालय एवं (ख) शिल्पकारों, व्यवसाय शिक्षुओं के प्रशिक्षण की योजनाएं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण, फोरमैन/पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, हाई-टेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को विविध विषय के तहत् आंवटित किया गया है ।

- नीतियों, मानदंडो एवं मानको का निर्माण, अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षण आयोजित करना तथा राष्ट्रीय प्रमाणीकरण देना, केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थापना एवं रोजगार कार्यालयों की स्थापना व प्रशासन राज्य/संघ शासित सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

23.3 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का संगठन

❖ महानिदेशालय के अध्यक्ष रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक एवं भारत सरकार के संयुक्त सचिव है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय संगठन में प्रशिक्षण निदेशालय और रोजगार निदेशालय नामक दो मुख्य विंग शामिल हैं।

❖ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 2700 कर्मचारी हैं जिसमें से 280 समूह-क, अधिकारी 406 समूह-ख अधिकारी, 1364 समूह-ग कर्मचारी तथा 650 समूह-घ कर्मचारी हैं ।

क. प्रशिक्षण निदेशालय

ख. प्रशिक्षण निदेशालय का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित से है:

❖ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शिल्पकार प्रशिक्षण योजना तथा मुख्यत औद्योगिक संस्थानों के विशेषकर एक समान नीतियों, मानकों

तथा प्रक्रियाओं वाले क्षेत्रों में , शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के की अधीन राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास ।

- ❖ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से संबंधन संबंधी सभी मामले ।
- ❖ व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना ।
- ❖ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के क्षेत्रीय संस्थानों में महिलाओं तथा शिल्प अनुदेशकों को प्रशिक्षण सहित उच्च प्रौद्योगिकी जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण ।
- ❖ व्यावसायिक प्रशिक्षण के अनुसंधान तथा अनुदेशात्मक सामग्री विकास
- ❖ व्यवसाय प्रशिक्षुओं के संबंध में शिक्षु अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन ।

ख . रोजगार निदेशालय

- ❖ राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना ।
- ❖ राज्यों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना ।
- ❖ रोजगार अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना तथा रोजगार सेवा कार्मिकों के प्रयोग हेतु स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना ।
- ❖ एक सतत् कार्यक्रम के तहत् राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों,प्रकियाओं अथवा कार्य पद्धतियों का मूल्यांकन करना, ताकि रोजगार सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह दी जा सके तथा राष्ट्रीय नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।
- ❖ कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जहां भर्ती काफी संख्या में अपेक्षित है वहां पर अधिशेष व कम कार्मिकों के समायोजन हेतु एक केन्द्रीय एजेन्सी उपलब्ध कराना ।
- ❖ संगठित क्षेत्रों एवं रोजगार कार्यालयों के लिए श्रम बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार करना एवं समान रिर्पोटिंग प्रक्रिया निर्धारित करना।
- ❖ बेरोजगार युवाओं से उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त आजीविकाओं के चुनाव एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों

तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स) के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कैरियर परामर्श सेवा के मध्य समन्वय करना ।

- विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- देश में रोजगार स्थिति को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों के कार्यो में समन्वय करना तथा उनसे परामर्श करना ।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना ।

23.4 सांविधिक उपबंध

- रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ।
- शिक्षुता अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

गैर सांविधिक निकाय

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्(एनसीवीटी)

सांविधिक निकाय

- केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (सीएसी)

23.5 उपलब्ध आधारभूत सरंचना

23.5.1 व्यावसायिक प्रशिक्षण

राज्य सरकार के पास

- 4751 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं । इनमें से 1826 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं तथा शेष 2925 निजी क्षेत्र में हैं । इन संस्थानों की कुल सीट क्षमता 6.97 लाख है ।

- प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक तकनीकी प्रशिक्षण निदेशालय /रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय स्थित है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण तथा राज्य सरकारों एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित शिक्षु अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।

केन्द्र सरकार के पास

- 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, लुधियाना और मुम्बई ।
- केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान ,चेन्नई ।
- इलैक्ट्रानिक्स तथा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन संबंधी दो उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और देहरादून ।
- केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,कोलकाता ।
- 6 क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय,मुम्बई कानपुर, कोलकाता,चेन्नई, हैदराबाद और फरीदाबाद ।
- राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा(उ.प्र.)
- दस क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हिसार, कोलकाता, तुरा, इंदौर, इलाहाबाद, वडोदरा तथा जयपुर ।
- दो फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान,बंगलौर और जमशेदपुर ।
- चार आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उत्तरांचल), कालीकट(केरल), चौद्वार(उडिसा) और जोधपुर (राजस्थान) ।
- राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई (पूर्व में सिमी के नाम से जाना जाता था) ।
- अपैक्स हाई-टेक इंस्टीटयूट, बंगलौर।

235.5.1 रोजगार सेवा

राज्य सरकारों के पास

- भारतवर्ष में 945 रोजगार कार्यालय (जिनमें विकलांगों हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालय शामिल हैं) ।

- ❖ अधिकांश राज्यों में रोजगार निदेशालय राज्यों की राजधानी में स्थित हैं ।

केन्द्र सरकार के पास

- ❖ 16 राज्यों में विकलांगों हेतु 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थित हैं ।
- ❖ अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों हेतु 22 अध्यापन -सह- मार्गदर्शन केन्द्र ।
- ❖ एक केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सर्टेस),नई दिल्ली में स्थित है ।
- ❖ केन्द्र सरकार/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति वाली विशिष्ट स्तर की रिक्तियों को भरने हेतु एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय ।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत अधीनस्थ / फील्ड कार्यालयों को दर्शाने वाला चार्ट अनुबंध 23.1 पर दिया गया है ।

23.6 विशिष्टताएं

23.6.1 व्यावसायिक प्रशिक्षण

कौशल निमार्ण एवं प्रशिक्षण का व्यक्तियों उद्यमियों, अर्थव्यवस्था एवं समाज के हितों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान है । प्रौद्योगिकी परिवर्तन, वित्तीय बाजार में परिवर्तन, उत्पादों व सेवाओं हेतु सार्वभौमिक बाजारों का प्रादुर्भाव, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, नई व्यापार नीतियां, नए प्रबन्धन, व्यापार संगठनों के नए रूप कार्य जगत में परिवर्तन लाने वाले परिणामों में से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । जनशक्ति को सक्षम बनाने, कार्य की गुणवत्ता एवं संगठनात्मकता में सुधार, नागरिकों की उत्पादकता में वृद्धि, कामगारों की आय में वृद्धि, उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, रोजगार सुरक्षा संवर्धन, सामाजिक समानता और आंतरिक एवं बाह्य श्रम बाजारों में तेजी से आते बदलाव में व्यक्तियों को अधिक रोजगारपरक बनाने में सहायता हेतु कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण अच्छे कार्य का आधार स्तंभ है ।

अन्य विकासशील देशों के अनुरूप भारत ने भी विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति की व्यवस्थित आपूर्ति द्वारा समग्र अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की गुणवता में सुधार करना जारी रखा । इन कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है । इन कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा अगले अध्यायों में दिया गया है ।

23.6.1.1 शिल्पकार प्रशिक्षण

- कुशल कामगारों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और गतिशील/गत्यात्मक व्यावासायिक प्रशिक्षण नीति तथा अवसंरचना के माध्यम से सार्थक सृजन हेतु पूरे देश में फैले पिछले वर्ष तक 4647 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 104 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जिससे इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ कर 4751 हो गई है । इनकी कुल सीट क्षमता 6.97 लाख है व इनमें 98 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । बदलते परिवेश में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यमान व्यवसायों को संशोधित किया गया, पुराने व्यवसायों को समाप्त कर दिया गया व नए व्यवसायों को आरम्भ कर 4751 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 98 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) से सम्बद्ध 6 आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) तथा एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान(सीटीआई) के माध्यम से 22 व्यावसायों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई) महिला व्यवसाय में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ।
- कुल प्रशिक्षण अवधि का लगभग 70% व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया गया है । व्यवसाय सिद्धान्त, कार्यशाला गणना व विज्ञान , इंजीनियरिंग ड्राईंग तथा सामाजिक अध्ययन (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर माडयूल भी शामिल है) से संबंधित विषयों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

- उद्योगों की कौशल संबंधी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण माडयूल्स को पुन: अनुकूल बनाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन हल्द्वानी , कालीकट , जोधपुर , तथा चौद्वार स्थित 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में माडयूलर पद्धति पर शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । अन्य सूचना अध्याय 28 में दिया गया हैं ।

23.6.1.2 शिक्षुता प्रशिक्षण

- जैसा कि शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं वाले सार्वजनिक तथा निजी दोनो क्षेत्रों के नियोजकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करें । अधिनियम के अंतर्गत 254 उद्योग समूहों को शामिल किया गया है तथा लगभग 20700 प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करते हैं ।
- 32 व्यवसाय समूहों में 153 व्यवसायों को व्यवसाय शिक्षुओं हेतु नामोद्दिष्ट किया गया है । 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार 2,32,745 प्रशिक्षण सीटों की तुलना में 1,63,221 प्रशिक्षण सीटों का उपयोग किया गया ।
- स्नातकों एवं तकनीशियन शिक्षुओं हेतु 102 तथा तकनीशियन(व्यावसायिक) शिक्षुओं के लिए 94 विषय क्षेत्रों को नामोद्दिष्ट किया गया है । इन श्रेणियों के लिए विद्यमान 78,461 सीटों में से दिनांक 30.6.2003 तक 43,478 सीटों का उपयोग कर लिया गया है । अन्य ब्यूरो अध्याय 29 में देखा जा सकते हैं ।

23.6.1.3 शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण

व्यावसायिक क्षमताओं के उच्च मानकों तक पहुंचने में प्रशिक्षणार्थियों के सहायतार्थ गुणात्मक कौशल विकसित करने हेतु अर्हताप्राप्त प्रशिक्षक मूल आधार हैं । किसी भी सफल प्रशिक्षण प्रणाली हेतु प्रशिक्षण एवं पुन: प्रशिक्षण विवेचनात्मक तत्व है । उनकी रोजगारपरकता सुनिश्चित करने तथा उनके प्रशिक्षण से कार्य अथवा पुन: प्रशिक्षण की ओर उन्मुख होने के लिए यह महत्वपूर्ण है । वर्तमान वर्ष में समग्र देश से कुल 1099 प्रशिक्षकों को 27

व्यवसायों में 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुदेशकों हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया । ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है ।

23.6.1.3 महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) में विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं ।
- एन वी टी आई/आर वी टी आई ने आरम्भ से अब तक लगभग 36,200 प्रशिक्षणार्थियों को विविध पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है इनमें 22,300 प्रशिक्षुओं को नियमित दीर्घावधि पाठ्यक्रमों व 13,900 को अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया ।

- वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3423 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया; इनमें एम एस आफिस, वर्ड प्रोसैसिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत/अनुरक्षण, कशीदाकारी, परिधान निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में नियमित दीर्घावधि पाठ्यक्रमों में 1896 एवं अल्पावधि/तदर्थ पाठ्यक्रमों में 1527 प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं । अक्तूबर 2003 की स्थिति के अनुसार लगभग 3100 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ।
- राज्य क्षेत्र में, अक्तूबर 2003 तक समेकित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 46262 प्रशिक्षण सीटों सहित लगभग 792 संस्थान (224 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 568 सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला विंग) थे ।

23.6.1.5 उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बदलती हुई प्रौद्योगिकी व कौशल आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति के कौशल व क्षमताओं में

सुधार सुनिश्चित होता है । इससे कामगारों का वैयक्तिक व आजीविका विकास सुनिश्चित होता है जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादकता व आय में वृद्धि होती है । इस उद्देश्य से वर्तमान वर्ष में 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उच्च व्यावसायिक क्षेत्रों में 96,652 से अधिक कामगारों को प्रशिक्षित किया गया । बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सुविधाओं का 30 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे ंविस्तार किया गया । और ब्यौरा अध्याय-10 में दिया गया है ।

23.6.1.6 इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

हैदराबाद एवं देहरादून में स्थापित दो इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करते हैं । अब तक इन संस्थानों द्वारा 1986 अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा अक्तूबर, 2003 तक 23134 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है । 2003-04 वर्ष के दौरान 132 पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा इनमें 1234 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया है ।

23.6.1.7 छंटनीशुदा कामगारों के लिए पुन: प्रशिक्षण कार्यक्रम

युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श देने, उन्हें पुन: नियुक्त करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को 13 नोडल एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में निर्धारित किया है । योजना को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 9 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 981 छंटनीशुदा कामगारों को प्रशिक्षित किया जिनमें से 892 को मार्च 2003 के अंत तक नियोजित कर दिया गया । वित्तीय वर्ष के दौरान इन कामगारों के प्रशिक्षण पर 41.41 लाख रू० व्यय किया गया ।

23.6.1.8 पर्यवेक्षी प्रशिक्षण / फोरमैन प्रशिक्षण

- विद्यमान एवं सम्भावित शाप-फ्लोर फोरमैनों तथा पर्यवेक्षकों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पावधि /टेलर-मेड तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों का आयोजन किया जाता है ।
- इन संस्थानों में नवम्बर, 2003 तक 2320 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं तथा अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों के माध्यम से 32,209 फोरमैन/पर्यवेक्षेकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । वर्ष 2003-2004 के दौरान, इन संस्थानों में 93 पाठ्यक्रमों में 1083 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

23.6.1.9 कर्मचारी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास

- कार्यकारी स्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान अपनाने तथा अनुदेशात्मक सामग्री एवं प्रक्षेपित/गैर प्रक्षेपित प्रशिक्षण सहाय्यों का विकास, प्रसार करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य सरकार की तकनीकी सहायता से संस्थान की स्थापना 1966 की गई ।
- अक्तूबर, 2003 तक केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता ने 14,042 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 155 परियोजनाओं को पूरा किया । वर्ष के दौरान, संस्थान ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों के व्यवसायों की 5 पाठ्यचर्यायों का विकास किया तथा 10 विद्यमान पाठ्यचर्यायों का संशोधन/उन्नयन किया ।
- संस्थान ने विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए गैर-औपचारिक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए हैं ।

23.6.1.10 अनुदेशात्मक मीडिया का विकास

- शिल्पकार प्रशिक्षण एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत् विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों(आईएमपी) के रूप में अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित करने एवं उसका प्रसार करने के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान(निमी) पूर्व में सिमी , की स्थापना की गई ।
- निमी को स्वायत्तता प्रदान की जा चुकी है, 1.4.1999 से यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है ।
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों के लिए अब तक 120 शीर्षकों का अग्रेजी में विकास किया है जिनमें से विभिन्न व्यवसायों हेतु शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 116 का प्रकाशन किया जा चुका है ।

23.6.2 रोजगार सेवा

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय न तो कोई रोजगार नीति बनाता है और न ही किसी रोजगार सृजन योजना का कार्यन्वयन करता है । इसकी भूमिका सहयोग करने एवं भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से अर्थव्यस्था में हो रहे रोजगार सृजन पर नजर रखता है । रोजगार सेवा का नेटवर्क 31.7.2003 को 18 रोजगार कार्यलयों से बढ़कर 945 रोजगार कार्यालय हो गया है ।

- रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन
  करना । 23 चुनिन्दा रोजगार कायालयों में विशेष स्व-रोजगार सवंर्धन सैल कार्य कर रहे हैं । सितम्बर, 2002 के अंत तक इन सैलों के चालू रजिस्टरों पर 199584 लाख से अधिक व्यक्ति थे और लगभग 75,008 लाख व्यक्तियों को स्व-रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गई ।
- रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान 362 व्यावसायिक मार्गदर्शन

एकक तथा 82 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो इन जिला रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे थे ।

- व्यावसायिक प्रशिक्षण के योजनाबद्ध विकास के लिए प्रमाणिक रोजगार बाजार सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्यों में रोजगार सेवा रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है । कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त एवं 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गैर -कृषीय प्रतिष्ठान शामिल हैं । 31 मार्च, 2001 को ईएमआई कार्यक्रम के तहत् कुल 2.87 लाख प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया ।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रो की स्थापना की गई । इन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त,13 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण का अभ्यास करने की सुविधा प्रदान की जाती है । ये केन्द्र समूह ‘ग’ एवं समकक्ष पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग,बैकिंग सेवा भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं । वर्ष 2002 के दौरान सी जी सीज में टंकण एवं आशुलिपि का 11169 उम्मीदवारों ने लाभ उठाया तथा 1188 उम्मीदवारों ने सीजीसी द्वारा आयोजित भर्ती पूर्व कार्यक्रमों में भाग लिया ।
- देश में विकलांगों हेतु 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी.आर.सी.) कार्य कर रहे हैं, जिनमें से वडोदरा स्थित केन्द्र विशेष रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है । ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करने तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य जारी रखे हुए हैं । 2002 दौरान इन केन्द्रों द्वारा 28830 व्यक्तियों को पंजीकृत, 28564 को मूल्यांकित /प्रशिक्षित तथा 9079 विकलांगों को पुनर्वासित किया गया ।

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) में स्थित भूतपूर्व सैनिक कक्ष द्वारा भूतपूर्व विकलांग सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं । सितम्बर, 2003 के अंत में 201 विकलांग सैनिक तथा 2239 आश्रित इस सैल के माध्यम से रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

- केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (सरटस) रोजगार सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों में अनुसंधान के लिए रोजगार कार्यालयों के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं आजिविका साहित्य को प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी हैं । 2002-2003 के (अक्तूबर, 2003 तक) के दौरान, सरटस ने रोजगार अधिकारियों के लिए 11 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया तथा 2003 के दौरान 2 आजिविका प्रकाशनों को जारी किया ।

23.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित नई पहल/उपलब्धियाँ

- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली को हाल ही में कड़कड़डूमा, दिल्ली स्थित इसके नए परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है जो कि प्रथम अवरोधमुक्त भवन है, जिसका निर्माण 8 करोड़ रू० की लागत से पी डब्ल्यू डी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है । इसमें 70 विकलांग व्यक्तियों हेतु छात्रवास सुविधा का भी प्रावधान है । योजना आयोग ने ऐसे ही भवनों के कानपुर, कोलकाता तथा भुवनेश्वर प्रत्येक में एक के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृती दे दी है ।
- औपचारिक क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य सहयोग के माध्यम से प्रशिक्षण सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से जर्मन सहायित्त परियोजना - "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली का पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण" के तहत् रोजगार एवं स्व रोजगार हेतु सेवा प्रकोष्ठों की स्थापना हेतु एक पायलट परियोजना आरंभ की गई है ।
- अनौपचारिक साधनों के माध्यम से कामगारों द्वारा प्राप्त कौशलों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल

करने के लिए प्रथम बार 2 करोड़ रू0 के कुल परिव्यय से एक नई योजना पाईलट आधार पर बनाई गई है । निर्माण उद्योग विकास परिषद् निर्माण में लगे ऐसे कामगारों के कौशल के अपने 5 केन्द्रो पर परीक्षण एव प्रमाणीकरण हेतु सहमत हो गई है । यह योजना चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी चलाई जाएगी ।

- 10 वीं योजनावधि के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्य के मद्देनजर,श्रम मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था में हो रहे रोजगार सृजन के प्रबोधन हेतु कदम उठाए हैं। विभिन्न मंत्रालयों कार्यान्वित विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से होने वाले रोजगार सृजन के प्रबोधन हेतु विधियों, रूपरेखा आदि सुझाने तथा रोजगार कार्यालयों आदि के उन्नयन हेतु उपाय सुझाने के लिए डा0वाई.के.अलघ के अध्यक्षता में रोजगार प्रबोधन पर एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया । अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक श्री जुआन सोमया ने 15.1.2004 को श्रम मंत्रालय का दौरा किया। इस अवसर पर मंत्रालय ने महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, कार्यकारी समूह के सदस्यों तथा "नई आर्थिक व्यवस्था में रोजगार रोजगार सृजन के अवसर तथा चुनौतियाँ, निर्धनता हटाने एवं कम करने" पर रोजगार के क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों के साथ एक बैठक आयोजित की। अन्तरराष्टीय संगठन तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा वस्त्र, खाघ प्रसंस्करण, घरेलू सामान की मरम्मत / अनुरक्षण, ब्यूटी कल्चर एवं मृदु खिलौने जैसे क्षेत्रों में "भारत में महिलाओं हेतु उत्कृष्ट रोजगार " पर संयुक्त रूप से एक पायलट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत लगभग 1700 महिलाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा वर्तमान में 400 से अधिक प्रशिक्षण पा रही हैं । 70% प्रशिक्षित महिलाओं को स्व-रोजगार के साथ पुनर्वासित किया गया है। इस परियोजना का विस्तार मुम्बई एवं कोलकता के गन्दे क्षेत्रों से महिलाओं को शामिल करने के लिए किया जाएगा।

- सप्ताहांत/सांयकालिक पाठ्यक्रम / अतिरिक्त पाठ्यक्रम/ तेलर मेड पाठ्यक्रम तथा डीजीईटी के तहत् संस्थान की द्वितीय पाली में पाठ्यक्रम आयोजित करके अतिरिक्त पाठ्यक्रम चलाए गए

जिसके परिणामस्वरूप,इन संस्थानों की सीट क्षमता प्रति वर्ष 25% बढ़ गई है।

- 6 माह से 2 वर्ष अवधि के 36 नए नियोजनीय व्यवसायों की पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यान्वयन हेतु विकास किया गया है। इन व्यवसायों के पाठ्यक्रम को अंतिम प्रयोगकर्ताओं हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय बेवसाइट से जोड़ दिया गया है। पांच अलोकप्रिय व्यवसायों को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को विषय-वस्तु से हटा दिया गया है। प्रथम बार, शिक्षु, प्रशिक्षण योजना के तहत् अनौपचारिक क्षेत्र में तेरह नए व्यवसायों का आरंभ किया गया है।
- विद्यमान पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं बड़ी संख्या में देश के युवा बल को शामिल करने के लिए आधुनिक एवं अद्यतन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय पर विस्तृत सूचना देने वाली एक वेबसाईट http://dget.nic.in आरंभ की गई है। वेबसाईट की विषय-सामग्री को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा एवं उन्नयन किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सूचना सेवा (एनवीटीआरएस) का विकास किया गया तिाा वेबसाईट के माध्यम से इस पर पहुँचा जा सकता है। यह व्यवसायों,मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फील्ड कार्यालयों / संस्थानों तथा उनके प्रशिक्षण कैलेण्डरों, केन्द्रीय क्षेत्र में व्यवसाय शिक्षु सीटों आदि के बारे में आंकड़े/ सूचना प्रदान करती है।
- जून 2003 में जिनेवा में एक अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। विचार-विमर्श हेतु जो कार्यसूची एजेण्डा मद सामने आई वह थी, मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण । रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। डीओईएसीसी तथा महाराष्ट्र ज्ञान कापोरेशन लिमिटेड़ (एम के सी एल), पूणे की सहायता एक आधारभूत सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता पाठ्यक्रम बनाया गया है।
- विश्व बैंक सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना फेस-1,1989-90 से 1998-99 तक कार्यान्वित की गई। प्रशिक्षण

क्षेत्र में कमी वाले कई क्षेत्रों पर यह परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने पर, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने 553.70 करोड़ रू. की लागत पर 33 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण मूलभूत ढ़ांचे के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक सहायता के लिए परियोजना का फेस-II बनाया है। प्रस्तवित परियोजना 33 राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी तथा 5 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा 3 केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं को शामिल करेगी। आर्थिक मामले वित्त मंत्रालय के माध्यम से वित्तीय विभाग सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ बातचीत करने के लिए योजना आयोग ने परियोजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकृत दे दी है।

- 30.60 करोड़ रू. की कुल लागत से जम्मू एवं कश्मीर हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना बनाई गई। पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु एक योजना कार्यान्वयाधीन है जो कि योजना हेतु प्रदान कराए गए 100.00 करोड़ रू. के परिन्यय से निम्न तीन घटकों को शामिल करती है।

1. 4901.90 लाख रू० की अनुमानित लागत पर 35 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण ।
2. 4988.06 लाख रू० की अनुमानित लागत पर 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ।
3. 110.00 लाख रू० की अनुमानित लागत पर संकाय/प्रायोजित अभ्यार्थियों आदि के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना ।

100 करोड़ की कुल राशि में से 38.01 करोड़ रू० सिविल कार्य हेतु, 23.06 करोड़ रू० उपकरणों की खरीद हेतु तथा 0.20 करोड़ रू० तकनीकी सहायता योजना के अधीन पहले ही दिए जा चुके हैं । सिविल निर्माण का अधिकतम कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण होने की सम्भावना है ।

<u>अनुबंध 23.1</u>

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
के अंतर्गत फील्ड / कार्यालय

क्र०सं०	राज्य	प्रशिक्षण निदेशालय	रोजगार निदेशालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स तथा प्रोसैस इंस्ट्रूमेंटेशन, हैदराबाद ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, हैदराबाद ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हैदराबाद
2.	असम		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, गुवाहाटी ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी
3.	बिहार		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, पटना
4.	गुजरात	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, वड़ोदरा	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद ○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, वड़ोदरा ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, सूरत
5.	हरियाणा	○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार

6.	हिमाचल प्रदेश		○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, मण्डी
7.	जम्मू और कश्मीर		○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जम्मू
8.	झारखंड	फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, रांची
9.	कर्नाटक	○ फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर ○ अपेक्स हाई-टेक संस्थान, बंगलौर ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक संस्थान, बंगलौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, बंगलौर ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, बंगलौर
10.	केरल	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तिरूअनंतपुरम ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, तिरूअनंतपुरम ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, तिरूअनंतपुरम
11.	मध्य प्रदेश	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान,मुम्बई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर

		प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	
13.	मणिपुर		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, इम्फाल
14.	मेघालय	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तुरा	○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जोवई
15.	मिजोरम		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, एजवाल
16.	नागलैण्ड		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोहिमा
17.	उड़ीसा	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौद्वार	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,भुवनेश्वर
18.	पंजाब	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जालंधर
19.	राजस्थान	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जयपुर

20.	तमिलनाडु	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,चेन्नई
21.	त्रिपुरा		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अगरतला
22.	उत्तर प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय कानपुर ○ राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कानपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कानपुर
23.	उत्तरांचल	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान-इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसैस इंस्ट्रूमेंटेशन, देहरादून	
24.	पश्चिम बगांल	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कोलकाता

		○ केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता ○ क्षेत्रीय क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता
25.	दिल्ली		○ केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, दिल्ली